भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.867

जिसका उत्तर 21.11.2019 को दिया जाना है

टायर में नाइट्रोजन का उपयोग

867. श्रीमती माला रायः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में टायरों में नाइट्रोजन के उपयोग को अनिवार्य करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजमार्गों विशेषकर यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): नागरिकों के लिए एक विकल्प के रूप में कुछ स्थानों पर टायरों में नाइट्रोजन भरने की सुविधा उपलब्ध है।

(ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करना अनिवार्य है। नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे एनएचएआई या इस मंत्रालय द्वारा निर्मित और प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

सड़क सुरक्षा के संबंध में, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में जागरुकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस तैयार करने, कुशल परिवहन के अनुप्रयोग सहित सुरक्षित सड़क संरचना को बढ़ावा देने, सुरक्षा कानूनों का प्रर्वतन जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय रेखांकित किए गए हैं। मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मसलो से निपटने के लिए 4 ई अर्थात शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित बहु-आयामी कार्य-नीति तैयार की है। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त की गई पहलें निम्नानुसार हैं:

- i जागरुकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।
- ii गुड स्मारिटन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करना।
- iii राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

iv स्वचालित प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए 22 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की संस्वीकृति।

v सरकार ने राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसका नाम "सुखद यात्रा 1033" है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

vi राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

vii सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

viii राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।

ix वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं।

x राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xi मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xiii भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xiv राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक / बस चालकों के लिए नि: शुल्क नेत्र जांच शिविर और चश्मों का वितरण किया जाता है।

xv माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

*****